झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–06

सप्तदश (मॉनसून) सत्र
शुक्रवार, दिनांक–02अगस्त, 2024 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 06.32 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रश्नकाल–

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–23)

(क) उत्तरित कुल–02

क्रम सं०–182	अ०सू०–09	श्री प्रदीप यादव,	स०वि०स०,
क्रम सं०–183	अ०सू०–21	श्री निरल पूरती,	स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल–21, अ०सू० क्रम संख्या–184 से 204 तक।

(कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या–24)

(क) अनागत कुल–24

2.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना–

आसन की अनुमति से प्रभारी वित्त मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में "भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखण्ड राज्य का 31मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा (राजस्व) से सम्बन्धित प्रतिवेदन" "भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखण्ड राज्य का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष का अनुपालन लेखा परीक्षा से सम्बन्धित प्रतिवेदन" "भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2022 के समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड में शहरी, स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित प्रतिवेदन" एवं "भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखण्ड राज्य का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा से सम्बन्धित प्रतिवेदन" जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, सदन पटल पर उपस्थापित किया गया तथा विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो, पर सभा की सहमति हुई।

3.शून्यकाल की सूचनाएँ:–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की स्वीकृत सभी सूचनाएँ पढ़ा हुआ मानते हुएं सम्बन्धित विभाग को भेजने का निदेश आसन से दिया गया।

4.प्रवर समिति के प्रतिवेदन का रखा जाना–

आसन की अनुमति से प्रभारी मंत्री, श्री चम्पाई सोरेन द्वारा **''इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024''** पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

5.विधायी कार्य–

(क)''झारखण्ड अग्निशमन सेवा विधेयक, 2024''

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, श्री वैद्यनाथ राम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो एवं माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार मण्डल(अनुपस्थित) द्वारा उक्त विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्तुत प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 से खण्ड–67, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् **''झारखण्ड अग्निशमन सेवा विधेयक, 2024''** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ख)''झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक, 2024''

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, श्री वैद्यनाथ राम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो, श्री विनोद कुमार सिंह एवं माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार मण्डल(अनुपस्थित) द्वारा उक्त विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्तुत प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 से खण्ड–89, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् **''झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक, 2024''** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ग)''झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक, 2024''

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 एवं खण्ड–03, खण्ड–04, खण्ड–05 से खण्ड–15, खण्ड–01, अनुसूची, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो एवं माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार मण्डल(अनुपस्थित) द्वारा उक्त विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्तुत प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा प्राप्त संशोधन ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् **''झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक, 2024''** सभा स्वीकृत हुआ।

(घ)''झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024''

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, श्री चम्पाई सोरेन द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा(अनुपस्थित), माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी(अनुपस्थित), डॉ० लम्बोदर महतो एवं श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा उक्त विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्तुत प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी (अनुपस्थित), श्री अनन्त कुमार ओझा (अनुपस्थित) एवं माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव (माननीय सदस्य, डॉ लम्बोदर महतो के एक संशोधन को छोड़कर) ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 एवं खण्ड–03, खण्ड–04, खण्ड–05, खण्ड–06, खण्ड–07, खण्ड–08 से खण्ड–13, खण्ड–14, खण्ड–15, खण्ड–16, खण्ड–17 से खण्ड–24, खण्ड–25, खण्ड–26 से खण्ड–38, खण्ड–39, खण्ड–40 से खण्ड–43, खण्ड–44, खण्ड–45 से खण्ड–59, खण्ड–60, खण्ड–01, अनुसूची, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् **''झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024''** सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

6.गैर–सरकारी संकल्प–

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के सप्तदश (मॉनसून) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर–सरकारी संकल्प की सूचनायें दी गयी जिन्हें सरकारी उत्तर के पश्चात् उनके द्वारा वापस लिया गया अथवा ध्वनिमत से अमान्य किया गया।

क्र.सं.	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
01.	डॉ कुशवाहा शशिभूषण मेहता	पाँकी को अनुमण्डल का दर्जा देने सम्बन्धी।	अपृष्ठ
02.	श्री किशुन कुमार दास	डिग्री महाविद्यालय के अधिष्ठापन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धी।	अपृष्ठ
03.	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सुव्यवस्थित कर चिकित्सा सेवा चालू कराने सम्बन्धी।	अपृष्ठ
04.	सुश्री अम्बा प्रसाद	राज्य विस्थापन आयोग का गठन सम्बन्धी।	वापस
05.	श्री उमाशंकर अकेला	हजारीबाग जिले के गृह रक्षक बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करने सम्बन्धी।	वापस
06.	श्री बिरंची नारायण	नवनिर्मित बोकारो एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाईट शुरू करने सम्बन्धी।	अपृष्ठ
07.	श्री दशरथ गागराई	खरसावां में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन का निर्माण सम्बन्धी।	वापस
08.	श्री नवीन जयसवाल	संविदा के आधार पर कार्य कर रहे मनरेगा कर्मियों के समायोजन सम्बन्धी।	अपृष्ठ
09.	श्री राज सिन्हा	धनबाद के भूली में बन्द जे.बी.भी.एन.एल. के कार्यालय को चालू करने तथा लोगों को बिजली कनेक्शन देने सम्बन्धी।	अपृष्ठ
10.	श्री सरयू राय	जमशेदपुर एवं समीपवर्ती इलाकों में स्वच्छ पेयजल आपूर्त्ति के लिए डिमना लेक और डोबो (सतनाला) डैम के माध्यम से चांडिल डैम का पानी उपलब्ध कराने सम्बन्धी। **(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया।)**	सदन के द्वारा अस्वीकृत
11.	श्री विनोद कुमार सिंह	गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखण्ड में भरकट्ठा एवं सरिया प्रखण्ड में चिचाकी को नया प्रखण्ड	वापस

		बनाना।	
12.	श्री सुखराम उराँव	चक्रधरपुर प्रखण्ड के अति जर्जर सड़क को **R.W.D.** से **R.C.D.** में हस्तांतरित करते हुए अविलम्ब निर्माण कार्य सम्बन्धी।	अपृष्ठ
13.	श्री रामदास सोरेन	घाटशिला को जिला बनाने सम्बन्धी।	वापस
14.	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत लैण्ड बैंक को खत्म कर पुनः ग्राम सभा को अधिकार देने सम्बन्धी।	वापस
15.	श्री भानू प्रताप शाही	राज्य के सभी मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण एवं सम्मानजनक वेतनमान देने सम्बन्धी।	अपृष्ठ
16.	श्रीमती सुनीता चौधरी	राज्य सरकार के द्वारा महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय का संचालन वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ करने सम्बन्धी। **(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)**	वापस
17.	श्री रामचन्द्र सिंह	बरवाडीह प्रखण्ड को अनुमण्डल का दर्जा अतिशीघ्र प्रदान करने सम्बन्धी।	वापस
18.	श्री अमित कुमार यादव	हजारीबाग जिला के चलकुशा प्रखण्ड को कोडरमा जिला में शामिल करने सम्बन्धी।	वापस
19.	श्री प्रदीप यादव	राज्य में जातीय जनगणना, पिछड़ों को 27प्रतिशत आरक्षण एवं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने सम्बन्धी। **(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया।)**	वापस
20.	श्री समीर कुमार महान्ती	जंगली हाथियों से आम नागरिकों को निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा अविलम्ब ठोस एवं कारगर कदम उठाने सम्बन्धी।	वापस
21.	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	खतियान एवं अन्य दस्तावेजों में गलत तरीके से अथवा त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित उनकी जातियों के लिपिकीय त्रुटि सुधार सम्बन्धी।	वापस
22.	श्री अमित कुमार मण्डल	गोड्डा जिलान्तर्गत हंसडीहा से नूनाजोर के बीच छूटे क्षेत्रों में सड़क का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने सम्बन्धी।	अपृष्ठ
23.	श्री मथुरा प्रसाद महतो	बिहार सरकार के तर्ज पर झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ सभी विश्वविद्यालयों द्वारा प्राईवेट बी.एड. महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी।	वापस
24.	श्री अनन्त कुमार ओझा	भू–धारकों के लम्बित आवेदनों का अविलम्ब निस्तारण करते हुए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने सम्बन्धी।	वापस
25.	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	राज्य सरकार के विभिन्न नगर निकायों में लम्बे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों के साथ नैसर्गिक न्याय करते हुए स्थायीकरण / समायोजन सम्बन्धी।	वापस
26.	श्री सोनाराम सिंकू	सारण्डा स्थित 10 वन ग्रामों को राजस्व गाँव में परिवर्तित कराने सम्बन्धी।	वापस
27.	श्री आलोक कुमार चौरसिया	मेदिनीनगर, नगर निगम क्षेत्र में अंडर ग्राउंड	वापस

		बिजली का तार बिछाने सम्बन्धी।	
28.	श्री नारायण दास	देवघर के रिखिया को प्रखण्ड का दर्जा देने सम्बन्धी।	वापस
29.	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	विश्रामपुर तथा मझिआंव को क्रमशः अनुमण्डल का दर्जा देने सम्बन्धी।	वापस
30.	श्री सुदेश कुमार महतो	राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने सम्बन्धी।	वापस
31.	डॉ लम्बोदर महतो	झारखण्ड राज्य की कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने सम्बन्धी।	सदन के द्वारा अस्वीकृत
32.	श्री राजेश कच्छप	**CNT Act** की अस्तित्व बचाने एवं **CNT Land** पर **General** कानूनों की **PREVAIL** की उच्चस्तरीय जाँच हेतु शक्तिशाली न्यायिक आयोग का गठन कर कार्रवाई करने सम्बन्धी।	वापस

गैर–सरकारी संकल्प की समाप्ति के उपरांत सदन नेता सह माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा सरकार की चलायी जा रही विभिन्न योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया एवं सत्र के दौरान प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के साथ ही अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया गया।

7.अध्यक्ष महोदय का समापन भाषण–

माननीय सदस्यगण को सम्बोधन के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि पंचम् झारखण्ड विधान सभा का वर्तमान सप्तदश (मॉनसून) सत्र अपने अंतिम चरण में है साथ–साथ पंचम् झारखण्ड विधान सभा भी समाप्ति की ओर है क्योंकि इसका यह सत्र सम्भवतः अंतिम सत्र है। इन पाँच वर्षों के कार्यकाल में कुल–17 सत्र आहूत किये गये एवं इस दौरान कुल–2313, अल्पसूचित, 4086–तारांकित तथा 750–अतारांकित प्रश्न स्वीकृत किये गये।

पंचम् झारखण्ड विधान सभा में राज्य सरकार द्वारा कुल–87 विधेयक सदन में लाये गये जिसमें 81 विधेयकों पर सदन की सहमति प्राप्त हुई तथा 67 विधेयक अंतिम रूप से कानून का रूप ले पाये। सरकार के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं यथा–मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, फूलो–झानो आशीर्वाद योजना, अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर भी प्रकाश डाला गया।

पंचम् झारखण्ड विधान सभा की शुरूआत विधान सभा के नये भवन में आरम्भ हुआ जिसमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परन्तु सभा सचिवालय के कर्मियों के सहयोग से हमने सफलतापूर्वक इस भवन में सभा का संचालन सुनिश्चित किया। इन पाँच वर्षों के दौरान विधायी शोध संदर्भ प्रशिक्षण कोषांग सभा सचिवालय के कर्मियों के साथ–साथ राज्य के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर आयोजित कर इनकी क्षमताओं का सम्वर्द्धन किया। पंचम् झारखण्ड विधान सभा के दौरान छात्र संसद का आयोजन मील का पत्थर साबित हुआ जिसमें राज्य के युवा वर्ग विधायिका के मर्म को बखूबी समझ पाया। जे.वी.एस. टी.वी. विधान सभा के द्वारा अधिष्ठापित किया गया जहाँ से 11 भाषाओं में सत्र का प्रसारण किया जाता है, जो एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में से है।

अंत में वर्त्तमान सत्र के सफल संचालन के लिए सभा सचिवालय के कर्मियों, राज्य प्रशासन के पदाधिकारियों, सुरक्षा जवानों, प्रेस–मीडिया के बंधुओं के अथक प्रयास के लिए सभी को धन्यवाद प्रेषित किया गया। राज्य की जनता एवं सभी माननीय सदस्यों को आनेवाले त्योहारों रक्षा–बंधन, दुर्गापूजा, कालीपूजा, दीपावली एवं छठ की बधाई दी गयी।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–02 अगस्त, 2024 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।